न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः–डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्याः– 10/2026

श्री बंशीधर सैनी पुत्र श्री मूंगाराम सैनी, ढाणी पांचनाली, वार्ड नं0 18, मु0पो0 बबाई, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं।

––

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

––

आदेश

दिनांक 23.02.2026

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 15.01.2026 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 10/2026 पर दिनांक 15.01.2026 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2025/145–146 दिनांक 16.01.2026 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू0अ0/2026/120 दिनांक 28.01.2026 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी श्री बंशीधर सैनी पुत्र श्री मूंगाराम सैनी, ढाणी पांचनाली, वार्ड नं0 18, मु0पो0 बबाई, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं का आवेदन पत्र इस कार्यालय मे प्राप्त हुआ है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू0अ0/2026/38 दिनांक 23.01.2026 के द्वारा प्राथी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू0अ0/2026/120 दिनांक 28.01.2026 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी श्री बंशीधर सैनी पुत्र श्री मूंगाराम सैनी, ढाणी पांचनाली, वार्ड नं0 18, मु0पो0 बबाई, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं का आवेदन पत्र उनके कार्यालय मे प्राप्त हुआ है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू0अ0/2026/38 दिनांक 23.01.2026 के द्वारा प्राथी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। चूंकि अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 23.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं